न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 63/2021 G.C.M.S. No. 2021/366 दर्ज दिनांक : 11.10.2021

अपीलार्थी:

1. सुकी पत्नि भानाराम, जाति चौधरी, निवासी दरवाजे के सामने, बेरा मोकरा देवली, तहसील देसूरी व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थीगण:

1. स्व. कानाराम पुत्र वरदाराम के कायम मुकाम:–
   1/1 भीकी बेवा स्व. कानाराम
   1/2 चुन्नीलाल पुत्र कानाराम
   1/3 जगाराम पुत्र कानाराम
   1/4 तीजो पुत्री स्व. कानाराम, तमाम जातिगण चौधरी निवासीगण राडावा तहसील बाली।
2. मृत धनाराम पुत्र वरदाराम, जाति चौधरी के का.मु.–
   2/1 मुलकी पत्नि स्व. धनाराम
   2/2 पुनाराम पुत्र स्व. धनाराम, जातिगण चौधरी, निवासी ठाकुरजी का बास, रडावा, बाली व जिला पाली।
   2/3 चम्पा पुत्री धनाराम, पत्नि भैराराम, जाति चौधरी, निवासी दांतीवाड़ा रोड़, बैरा वारिया, रडावा, बाली।
   2/4 वदनो (वदिया) पुत्री स्व. धनाराम, पत्नि मोहनलाल, जाति चौधरी, निवासी लंबी वास, रडावा, बाली।
   2/5 लीला पुत्री स्व. धनाराम, पत्नि पेमाराम, जाति चौधरी, निवासी ठाकुरजी का बास, रडावा, बाली व जिला पाली।
   2/6 पुष्पा पुत्री स्व. धनाराम पत्नि इंदाराम, जाति चौधरी, निवासी डिम्पल किराणा स्टोर, कुडी 8 सेक्टर, सीटी बस स्टैण्ड, जोधपुर।
3. लालाराम पुत्र वरदाराम, जाति चौधरी, निवासीगण राडावा, तहसील बाली व जिला पाली।
4. स्व. देवाराम पुत्र पन्नाराम व कंकू बेवा देवाराम, जाति चौधरी, निवासी रडावा के कायम मुकाम:–
   4/1 गंगा पत्नि सोहनलाल, जाति चौधरी निवासी सुभाष बस्ती, बाली तहसील बाली व जिला पाली।
   4/2 स्व. जमना पत्नि मगाराम निवासी बेरा नेमबा–राडावा वाली बाली के कायम मुकाम:–
   4/2/1 भंवरी पुत्री मगाराम
   4/2/2 हरीराम पुत्र मगाराम बेरा नेमबा राडावा वाला बाली।
   4/3 हंजा पत्नि घीसाराम, जाति चौधरी, निवासी घांचियों के न्याती नोहरे के सामने, सुभाष बस्ती बाली, तहसील बाली व जिला पाली।
   4/4 तुलसी पत्नि गमनाराम, जाति चौधरी, निवासी सेसली दरवाजा बेरा उंदररिया भेराजी वाला, बाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

5. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, बाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 241/08 (पुराने 94/2000) बअनवान सुकी बनाम कानाराम के का.मु. भीकी वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.10.2021 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री नारायणलाल कुमावत, डिम्पल वैष्णव, श्री भेराराम परिहार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

निर्णय

दिनांकः 31.12.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 241/08 (पुराने 94/2000) बअनवान सुकी बनाम कानाराम के का.मु. भीकी वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.10.2021 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि वादी/अपीलाण्ट का वाद इस आधार पर था कि वादी के पिता देवारामजी द्वारा अपने जीवनकाल में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पक्ष में कभी भी वसीयत नहीं की है। तथाकथित वसीयत फर्जी और कुटरचित है। उपरोक्त वसीयत के सम्बन्ध में दर्ज करवाये गये आपराधिक प्रकरण में एफ.एस.एल. रिपोर्ट मंगवाई गई थी जिसमें उपरोक्त वसीयत पर निष्पादनकर्ता मृतक देवाराम के हस्ताक्षर फर्जी प्रमाणित पाये गये। उसके आधार पर न्यायालय में चालान पेश किया था। दौराने अन्वीक्षा संदेह का लाभ देकर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को बरी अवश्य किया है, लेकिन उससे यह वसीयत जिनायन और वैध नहीं हो जाती है। वादी का वाद मुख्य इस आधार पर था कि वादीनी के पिता द्वारा कभी भी प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पक्ष में वसीयत नहीं की हैं। तथाकथित वसीयत के आधार पर इनके नाम दर्ज म्यूटेशन संख्या 463 और राजस्व रिकॉर्ड में किये गये इन्द्राज अवैध और शून्यवृत है, जिसे शून्य घोषित करते हुए वादीनी एवं अन्य वारिसान को खातेदार दर्ज किये जावें। फौजदारी न्यायालय द्वारा दी गई फाईडिंग अथवा दिये गये निर्णय से सिविल न्यायालय अथवा राजस्व न्यायालय न तो पाबंद है, न ही उक्त निर्णय से गाईड होते हैं। इस सम्बन्ध में सिविल अथवा राजस्व न्यायालय में ही विचारण किया जाएगा। जब वाद मुख्यतयाः वसीयत के फर्जी व कूटरचित होने का था और उसके आधार पर किये गये इन्द्राज को शून्य घोषित करने बाबत था, वसीयत को शून्य दस्तावेज तथा वादी व अन्य वारिसान के हक, हकूक, अधिकार के विरूद्ध बेअसर व शून्य बताते

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

हुए वाद पेश किया था, ऐसी स्थिति में वाद के विचारण से ही समस्त तथ्य साबित हो सकते थे, बिना विचारण के आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत् ऐसे बिन्दु को तय नहीं किया जा सकता है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को तय करते समय केवल वाद में किये गये अभिवचनों को ही देखा जाता है, इस स्तर पर प्रतिवादी की प्रतिरक्षा अथवा बचाव के तथ्यों पर विचार नहीं किया जा सकता है। वाद में वर्णित अभिवचनों अनुसार वाद विधिक रूप से पोषणीय था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी द्वारा बचाव में और प्रतिरक्षा में दिये गये अभिवचन और उस संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर आवेदन को निर्णित करने में विधि व तथ्यों की भारी भूल की है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को निर्णित करते समय प्रतिवादी के अभिवचनों एवं दस्तावेजात को न तो देखा जा सकता है, न ही उसके आधार पर किसी प्रकार की फाईडिंग दी जा सकती हैं। उपरोक्त विधिक स्थिति को नजरअदांज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी के अभिवचनों और दस्तावेजात को इस स्तर पर आधार बनाकर उसे सही मानकर जैर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये हैं। इसके अतिरिक्त आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में स्पष्ट रूप से प्रावधान दिये गये है कि किन किन आधारों पर वाद को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में खारिज किया जा सकेगा। उपरोक्त आधार प्रतिवादी के आवेदन दर्ज नहीं है अर्थात् ऐसे कोई आधार आवेदन में वर्णित नहीं है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत् वाद विधि द्वारा वर्जित हो अथवा वादकारण प्राप्त नहीं होता हो अथवा कोर्टफीस पर्याप्त नहीं हो, के आधार पर ही वाद खारिज किया जा सकता है। वादीनी का वाद इनमें से किसी भी आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है, न ही ऐसा कोई आधार प्रतिवादी द्वारा बताया गया है। प्रतिवादी द्वारा केवल इस आधार पर आवेदन पेश किया कि तथाकथित वसीयत के सम्बन्ध में दर्ज आपराधिक प्रकरण में प्रतिवादी को बरी कर दिया है और वसीयत को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को होने से राजस्व न्यायालय को अधिकारिता नहीं होने के आधार पर वाद खारिज करने का आधार बताया है। न्यायालय की अधिकारिता का प्रश्न विधि व तथ्यों का मिश्रित प्रश्न है, जो साक्ष्य के बाद ही तय किया जा सकता है. ऐसी स्थिति में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत् न्यायालय की अधिकारिता का बिन्दु न तो तय किया जा सकता है, न ही इस बाबत् आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में प्रावधान है। वादी ने उक्त वसीयत को फर्जी व कूटरचित व शून्य दस्तावेज बताकर वाद पेश किया है, ऐसी स्थिति में जहां दस्तावेज को शून्य बताते हुए एवं वादी के हक, हकुक, अधिकार के विरूद्ध बेअसर व शून्य होने की घोषणा बाबत् वाद पेश किया जाता है, वहां पर वाद राजस्व न्यायालय द्वारा ही पोषणीय रहता

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

है। उपरोक्त तथ्यों को नजरअदांज करते हुए जैर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये है। जहां पर दस्तावेज शून्यकरणीय होता है वहीं पर सिविल न्यायालय को अधिकारिता हो सकती है, ऐसी स्थिति में वाद में वर्णित अभिवचनों के आधार पर वाद राजस्व न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है और आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत् ऐसे वाद को खारिज करने की अधिकारिता अधीनस्थ न्यायालय को नहीं हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रावधानों के विपरीत जाकर उक्त निर्णय व डिक्री पारित की हैं। जोकि सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट वादीया द्वारा रेस्पोंडेंट प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 153 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.10.2021 द्वारा वादपत्र खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध वादिया अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई हैं।

2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीया द्वारा वादग्रस्त आराजी वादीनी व प्रतिवादी संख्या 4 के पिता देवाराम द्वारा धारित पैतृक–पुश्तैनी आराजी होने, देवाराम का दिनांक 25.06.1997 को निधन हो जाने, देवाराम के विधिक वारिस के रूप में वादिया, प्रतिवादी संख्या 4 तथा पत्नि कंकूदेवी होने तथा कंकूदेवी का दिनांक 09.12.1999 को निधन हो जाने से देवाराम व कंकूदेवी के कानूनन उत्तराधिकारीगण वादीया व प्रतिवादी संख्या 4 होने, देवाराम व कंकूदेवी की मृत्यु उपरांत वादिनी व प्रतिवादी संख्या 4 के नाम नामांतरण स्वीकृत नहीं कर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा कूटरचित एवं देवाराम के फर्जी हस्ताक्षर से तैयार कथित वसीयत के आधार पर नामांतरण स्वीकृत करने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष के साथ वादपत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण के जवाबदावा व वादपत्र के आधार पर विवाद्यक कायम किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण द्वारा आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया द्वारा वसीयतनामा दिनांक 14.04.1997 को प्रश्नगत किया है। वसीयत का न्यायिक निर्णयन मात्र सिविल न्यायालय को ही अधिकारिता प्राप्त है तथा राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में नहीं होने से वादपत्र काबिल खारिज है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा वादग्रस्त भूमि अधिकार अभिलेखों में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम वसीयतनामा दिनांक 14.04.1997 के आधार पर दर्ज होने, वादिया द्वारा वसीयतनामा को अस्वीकार करने तथा वसीयतनामा को जब तक सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लिया जाता तब तक राजस्व न्यायालय द्वारा वाद में कोई कार्यवाही नहीं किया जाना से वाद विधि द्वारा व वर्जित होना अंकित करते हुए खारिज किया गया है।

4. हमारे विनम्र मत में आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र के निर्णयन में केवल वादपत्र में उल्लेखित अभिवचनों का ही अवलोकन अपेक्षित होता है तथा इस स्तर पर कोई भी दस्तावेजात का अवलोकन अनुमत नहीं होता है। वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात कृषि भूमि है तथा वादिया द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 53, 188 के अंतर्गत अनुतोष चाहा है एवं वादपत्र में वादकारण का अंकन किया है।

5. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 207, 214, 215, 217 एवं तृतीय अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 3, 5, 23 (ग) के प्रावधानानुसार अधिनियम की धारा 53, 88 व 188 के अंतर्गत वादपत्र का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार एकमेव राजस्व न्यायालय सहायक कलक्टर में निहित होता है तथा खातेदारी अधिकारों की घोषणा के अनुतोष के लिए कोई परिसीमा अवधि विहित नहीं की गई हैं। अतः वादिया का वादपत्र किसी भी विधि से वर्जित नहीं हैं। वादिया द्वारा वसीयतनामा को शून्य घोषित किये जाने का अनुतोष नहीं चाहा गया है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वसीयतनामा को शून्य घोषित करवाने की पूर्वापेक्षा किया जाना व इस आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र विधिवर्जित मानने की प्रतीति करना पूर्णतया विधिविरूद्ध व गलत है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी भी विशिष्ट विधि का उल्लेख नहीं किया है। जिससे यह स्पष्ट हों कि वादपत्र किस अमुख विधि से किस रूप में बाधित वर्जित है। भू–अभिलेख में किनका नाम दर्ज है या नहीं तथा भू–अभिलेख में दर्ज प्रविष्टियां किस आधार पर दर्ज हुई तथा कथित वसीयतनामा वादिया के खातेदारी अधिकारों को किस रूप में तथा किस प्रकार से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

बाधित या प्रभावित करता है या नहीं उक्त समस्त प्रश्नों का विनिश्चय उभयपक्षकारान की साक्ष्य उपरांत गुणावगुण के आधार पर ही हो सकता है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्यारेलाल बनाम शुभेन्द्र पिलानिया सिविल अपील संख्या 1269—1270/2019 में पारित निर्णय दिनांक 29.01.2019 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:—

"The claim of the appellant to khatedari rights is pending ad -judication by a revenue court which has the exclusive jurisdiction to the ad-judicate upon such a claim, the appellant has no right to seek relief before the civil court without first getting his khatedari right decreed by the revenue court."

उक्त प्रकरण राजस्थान राज्य से संबंधित था, तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अंतर्गत वांछित अनुतोष व तृतीय अनुसूची के अंतर्गत न्यायालय के क्षेत्राधिकार, परिसीमा एवं न्यायालय शुल्क की विस्तृत विवेचना करते हुए खातेदारी अधिकारों की घोषणा से पूर्व सक्षम सिविल न्यायालय से पंजीकृत विक्रय—विलेख को शून्य घोषित करवाना आवश्यक नहीं माना है। बल्कि पंजीकृत विक्रय—विलेख खातेदारी भूमि के संबंध में शून्य घोषित करवाने के लिए पहले सक्षम राजस्व न्यायालय से खातेदारी अधिकारों की डिक्री प्राप्त करना आवश्यक माना है। हस्तगत प्रकरण की परिस्थिति व तथ्य उक्त प्रकरण के हूबहू है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में पारित अभिमत हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होता है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारे विनम्र मत में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिक प्रावधानों के विरूद्ध होने से काबिल अपास्त है तथा अपील अपीलांट बखूबी साबित होती हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण विधिनुरूप अग्रिम विचारण व न्याय—निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट्स अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर न्यायालय सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 241/08 (पुराने 94/2000) बअनवान

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सुकी बनाम कानाराम के का.मु. भीकी वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.10.2021 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण विचारणार्थ पुनः दर्ज कर वादपत्र के निस्तारण/विचारण के लिए व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 व राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्युअल के संगत आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का अनुपालन करते हुए उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए विधिनुरूप प्रकरण निर्णित व डिक्री करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 30.01.2026 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर बाली में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक-कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **31.12.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner